



2026:AHC:124783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17906 / 2026

शाहे आलम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रेवती रमन पटेल

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री देवेश कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने की अनुकंपा करे और आवेदक को वाद के विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 490 / 2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना- जहांगीराबाद, जिला- बुलंदशहर में जमानत पर मुक्त करने की महती कृपा करे, अन्यथा आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि उठानी पड़ेगी।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को एफआईआर में गलत तरीके से नामजद किया गया है, क्योंकि वह न तो किसी गिरोह का सरगना है और न ही सदस्य है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न गैंग चार्ट में आवेदक का नाम चार मामलों के विरुद्ध अंकित है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 161 / 2025 अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना- जहांगीराबाद, जिला- बुलंदशहर; मुकदमा अपराध संख्या 152 / 2025 अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 351(2) बी.एन.एस., थाना- अनूपशहर, जिला- बुलंदशहर; मुकदमा अपराध संख्या 162 / 2025 अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., थाना- जहांगीराबाद, जिला- बुलंदशहर तथा मुकदमा अपराध संख्या 30 / 2025 अंतर्गत धारा 309(2), 317(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना- जहांगीराबाद, जिला- बुलंदशहर हैं, जिनमें आवेदक को उपरोक्त मामलों में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2026, इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2026, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 12.04.2025 से जेल में निरुद्ध है, हालांकि उसे दिनांक 03.09.2025 को रिमांड पर लिया गया था। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक जमानत का हकदार है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी में उल्लिखित एक अन्य

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सह-अभियुक्त अब्बास को इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि समानता के आधार पर आवेदक की जमानत भी स्वीकृत की जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि गैंग चार्ट में परिलक्षित दो आपराधिक मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक को गैंग चार्ट में परिलक्षित दो मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 12.04.2025 से जेल में है और उसे दिनांक 03.09.2025 को रिमांड पर लिया गया था।

6. दी गई परिस्थितियों में, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मामले में संलिप्त आवेदक- शाहे आलम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्यवाही करने या दी गई जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

2 जून, 2026

मुकेश

(अनिल कुमार-X, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"